न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 152/2017 **दायरा दिनांक : 12.09.2017**

उनवान

नन्दकिशोर आत्मज स्वर्गीय रामप्रताप जी उर्फ प्रताप जी, जाति कलाल, निवासी ग्राम जेपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

पार्वती पुत्री स्वर्गीय रतना जी, पत्नी श्री धर्मेन्द्र जी, जाति बेडिया, निवासी ग्राम भीलवाडा ऊंचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां हाल निवासी भार्गव कालोनी, गुना

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 25/2017 निर्णय दिनांक 03.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिनी रेस्पोडेंट द्वरा प्रस्तुत मुतफर्रिक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2017 बाबत दिलाये जाने कब्जा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 212 (2) के अन्तर्गत दर्ज कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भीलवाड़ा ऊंचा, तहसील छबड़ा की खसरा नम्बर

347 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 348 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कुल 2 किता की 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर तहसीलदार छबड़ा को रिसीवर नियुक्त किये जाने का एवं तहसीलदार छबड़ा को उक्त आराजी पर कब्जा राज लेकर काश्त की व्यवस्था करावे इस आशय का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । अपीलांट के पिता का नाम प्रताप जी उर्फ रामप्रताप है, अपीलांट के पिता का नाम प्रार्थिनी रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गलत रूप से सालिगराम दर्ज किया गया है तथाकथित सालिगराम नामक व्यक्ति से अपीलांट का कोई सम्बन्ध नहीं है । रेस्पोडेंट के पिता श्री रतना जी ने वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पूर्वजों माधो एवं पिता प्रताप को दिनांक 12.06.54 को 250/– रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया था । माधोलाल जी के एवं प्रताप जी के जीवनकाल तक उपरोक्त आराजी निरन्तर माधोलाल एवं प्रताप के कब्जे काश्त में रही तथा उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट के पिता रामप्रताप उर्फ प्रताप के निरन्तर कब्जे काश्त में रही तथा उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है और वर्तमान में भी अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है । रेस्पोडेंट के पिता रतना ने पूर्व में अपीलांट के पिता प्रताप उर्फ रामप्रताप के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कब्जा दिलाये जाने का दावा प्रस्तुत किया था उक्त वाद दिनांक 12.03.1987 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेरून मियाद प्रस्तुत किये जाने से खारिज किया गया था। रेस्पोडेंट के पिता रतन द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध सम्माननीय न्यायालय में अपीलांट प्रस्तुत की थी जो दिनांक 26.03. 1997 को खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया । उक्त निर्णय के विरूद्ध रतना द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । अतः उक्त निर्णय अंतिम हो चुके हैं । रेस्पोडेंट के पिता रतना की मृत्यु हो जाने के उपरान्त रेस्पेडेंट ने उक्त तथ्यों को छिपाकर पुनः धारा 183 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

1955 के अन्तर्गत तहसीलदार छबडा के समक्ष पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2016 को अपीलांट के विरूद्ध पिता का नाम सालगराम होना गलत रूप से दर्ज कर प्रस्तुत कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.05.2017 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया । उक्त आदेश की प्रसन्नता से अपीलांट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जो वर्तमान में भी विचाराधीन है, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 06.10.2017 नियत है । प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2017 को खारिज कर दिया । उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिसमें दिनांक 02.06.2017 को आगामी तारीख 25.08.2017 तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था । उक्त आदेश आगामी तारीख दिनांक 22.12.2017 तक विस्तारित हो गया है, जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को है । इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होते हुए भी सर्वथा गैर कानूनी रूप से मुतफर्रिक प्रार्थना पत्र पर वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.08.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपील में यह तथ्य प्रमाणित है कि इस प्रकरण में रेवेन्यु बोर्ड से स्थगन आदेश प्राप्त हो चुके हैं । अतः इस न्यायालय के स्तर पर अपील का कोई औचित्य नहीं है । इस न्यायालय से कोई अन्य अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा